

Reference No. 2043-46 /SIDC/A/पालिका 01/12/18-17 Dated 18-12-18

-: कार्यालय आदेश :-

निगम के संचालक मण्डल की दिनांक 21.11.2018 को सम्पन्न हुई 300वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार निगम के औद्योगिक/ व्यावसायिक-फैसिलिटी/ एकल आवासीय/गुप हाउसिंग/ संस्थागत उपयोग हेतु आवंटित भूखण्डों की प्रचलित समयविस्तारण नीति एवं औद्योगिक भूखण्डों की हस्तान्तरण नीति में निम्नवत संशोधन किया जाता है :-

1. औद्योगिक भूखण्डों हेतु समय विस्तारण नीति

(क) समयविस्तारण की वर्तमान नीति में संशोधन करते हुये निम्नवत तालिका के अनुसार समयविस्तारण शुल्क के भुगतान की शर्त पर 01 वर्ष अथवा 02 वर्ष का समयविस्तारण सभी औद्योगिक भूखण्डों के आवंटियों/हस्तान्तरियों को गुण-दोष के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान किया जाएगा :-

| क्र० सं० | आवंटी/हस्तान्तरी-वर्ग | 01 वर्ष समय विस्तारण हेतु देय समयविस्तारण शुल्क की दर (प्रतिवर्गमीटर) | एक साथ 02 वर्ष समय विस्तारण हेतु देय समयविस्तारण शुल्क की दर (प्रतिवर्गमीटर) |
|----------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ऐसे हस्तान्तरी जिन्हें इकाई स्थापना हेतु हस्तान्तरण की दिनांक से कुल 01 वर्ष का समय प्रदान किया गया | समयविस्तारण प्रदान किये जाने की दिनांक को प्रचलित प्रीमियम दर का 10 प्रतिशत | समयविस्तारण प्रदान किये जाने की दिनांक को प्रचलित प्रीमियम दर का 25 प्रतिशत |
| 2 | क्रम संख्या 1 में वर्णित हस्तान्तरियों को छोड़कर ऐसे अन्य आवंटी/हस्तान्तरी जिनके आवंटन/हस्तान्तरण की दिनांक 31.12.2012 के पश्चात है | दिनांक 31.12.2017 को प्रभावी समयविस्तारण नीति के अनुसार पूर्व की भाँति आवंटन दर का 05/10/15 प्रतिशत अन्तिम रूप से 01 वर्ष के समयविस्तारण हेतु। तत्पश्चात उपरोक्त क्रमांक-1 के अनुसार | अनुमन्य नहीं |

| | | | |
|---|---|--|---|
| 3 | ऐसे आवंटी / हस्तान्तरी जिनके आवंटन / हस्तान्तरण की दिनांक 01.01.2013 के पूर्व की है एवं उन्हें विस्तारित समय वर्ष 2018 में उपलब्ध है | समयविस्तारण प्रदान किये जाने की दिनांक को प्रचलित प्रीमियम दर का 10 प्रतिशत | समयविस्तारण प्रदान किये जाने की दिनांक को प्रचलित प्रीमियम दर का 25 प्रतिशत |
| 4 | ऐसे आवंटी / हस्तान्तरी जिनके आवंटन / हस्तान्तरण की दिनांक 01.01.2013 के पूर्व की है किन्तु उनके द्वारा दिनांक 31.12.2017 तक हस्तान्तरण / समयविस्तारण हेतु आवेदन नहीं किया गया | समयविस्तारण प्रदान किये जाने की दिनांक को प्रचलित प्रीमियम दर का 15 प्रतिशत तथा उपरोक्त के साथ पिछले सभी वर्षों हेतु नियमानुसार देय समयविस्तारण शुल्क भी दिनांक 31.12.2017 को प्रभावी समयविस्तारण नीति के अनुसार देय होगा। | समयविस्तारण प्रदान किये जाने की दिनांक को प्रचलित प्रीमियम दर का 30 प्रतिशत तथा उपरोक्त के साथ पिछले सभी वर्षों हेतु नियमानुसार देय समयविस्तारण शुल्क भी दिनांक 31.12.2017 को प्रभावी समयविस्तारण नीति के अनुसार देय होगा। |
| 5 | आवंटन के पुनर्जीवीकरण पत्र में अनुमन्य समयसीमा समाप्त होने पर | समयविस्तारण प्रदान किये जाने की दिनांक को प्रचलित प्रीमियम दर का 15 प्रतिशत तथा उपरोक्त के साथ पिछले सभी वर्षों हेतु नियमानुसार देय समयविस्तारण शुल्क भी दिनांक 31.12.2017 को प्रभावी समयविस्तारण नीति के अनुसार देय होगा। | अनुमन्य नहीं |
| 6 | उपरोक्त क्रमांक 1 से 5 के अतिरिक्त अन्य सभी आवंटी / हस्तान्तरी | समयविस्तारण प्रदान किये जाने की दिनांक को प्रचलित प्रीमियम दर का 10 प्रतिशत तथा उपरोक्त के साथ पिछले सभी वर्षों हेतु नियमानुसार देय समयविस्तारण शुल्क भी दिनांक 31.12.2017 को प्रभावी समयविस्तारण नीति के अनुसार देय होगा। | समयविस्तारण प्रदान किये जाने की दिनांक को प्रचलित प्रीमियम दर का 25 प्रतिशत तथा उपरोक्त के साथ पिछले सभी वर्षों हेतु नियमानुसार देय समयविस्तारण शुल्क भी दिनांक 31.12.2017 को प्रभावी समय विस्तारण नीति के अनुसार देय होगा। |

 3/10
 10/01/18
 12/01/18
 12/01/18

 पृष्ठ
 संख्या
 की
 लो
 शेष
 संख्या
 है

(ख) समय विस्तारण हेतु प्राप्त सभी आवेदन पत्र क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी द्वारा निर्णय हेतु स्पष्ट संस्तुति सहित मुख्यालय अग्रसारित किये जायेंगे। उपरोक्त प्रस्तर (क) में दी गई तालिका के क्रमांक 2 एवं 4 पर अंकित आवंटियों को उपरोक्तानुसार समयविस्तारण की सुविधा प्राप्त करने हेतु आवेदन विलम्बतम दिनांक 31.3.2019 तक निगम के सम्बन्धित कार्यालय में प्राप्त कराना होगा तथा दिनांक 31.03.2019 के पश्चात प्राप्त ऐसे किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी प्रकरणों पर निर्णय गुण-दोष के आधार पर प्रबन्ध निदेशक द्वारा लिया जाएगा।

(ग) किसी भी आवंटी/हस्तान्तरी को उपरोक्तानुसार समयविस्तारण अधिकार रूप में स्वयंमेव प्राप्त नहीं होगा तथा सभी प्रकरणों में आवंटी द्वारा इकाई स्थापना में की गयी प्रगति के दृष्टिगत गुण-दोष के आधार पर समयविस्तारित किये जाने का निर्णय सक्षम अधिकारी द्वारा लिया जाएगा।

(घ) वर्तमान में प्रचलित समयविस्तारण नीति उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझी जाएगी तथा उक्त नीति के अन्य प्रावधान यथावत रहेंगे।

2. व्यावसायिक-फैसिलिटी/एकल आवासीय/ग्रुप हाउसिंग/ संस्थागत उपयोग हेतु आवंटित भूखण्डों के लिये समयविस्तारण नीति

संचालक मण्डल के निर्णय के अनुसार उपरोक्त सभी प्रकृति के उपयोगों हेतु आवंटित किये गये भूखण्डों में समयविस्तारण की संशोधित नीति निम्नवत निर्धारित की जाती है :-

(क) व्यावसायिक-फैसिलिटी/ग्रुप हाउसिंग/संस्थागत (शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक) उपयोग हेतु भविष्य में आवंटित/हस्तान्तरित किये जाने वाले भूखण्डों में आवंटन/हस्तान्तरण की दिनांक से कुल 05 वर्ष का समय भूखण्ड का अनुमन्त्र उपयोग करने हेतु दिया जाएगा। तत्पश्चात 01 वर्ष समयविस्तारण हेतु देय

समयविस्तारण शुल्क की दर प्रश्नगत भूखण्ड हेतु समयविस्तारण का अनुमोदन प्रदान किये जाने की दिनांक को प्रचलित प्रीमियम दर का 10 प्रतिशत प्रतिवर्गमीटर होगी। अगले 01 वर्ष के समयविस्तारण के लिये देय समयविस्तारण शुल्क की दर प्रश्नगत भूखण्ड हेतु तत्समय प्रचलित प्रीमियम दर का 15 प्रतिशत प्रतिवर्गमीटर होगी।

(ख) व्यावसायिक-फैसिलिटी/गुप हाउसिंग/संस्थागत (शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक) उपयोग हेतु वर्तमान में आवंटित/हस्तान्तरित सभी भूखण्डों में आवंटन/हस्तान्तरण पत्र अथवा लीजडीड में अनुमन्य समय-सीमा समाप्त होने पर देय समयविस्तारण शुल्क प्रश्नगत आवंटनपत्र/हस्तान्तरणपत्र/लीजडीड की शर्तों में यदि स्पष्ट रूप से उल्लिखित है तो तदनुसार देय होगा अन्यथा अब 01 वर्ष समयवृद्धि हेतु देय समयविस्तारण शुल्क की दर प्रश्नगत भूखण्ड हेतु समयविस्तारण का अनुमोदन प्रदान किये जाने की दिनांक को प्रचलित प्रीमियम दर का 10 प्रतिशत प्रतिवर्गमीटर होगी। अगले 01 वर्ष के समयविस्तारण के लिये देय समयविस्तारण शुल्क की दर प्रश्नगत भूखण्ड हेतु तत्समय प्रचलित प्रीमियम दर का 15 प्रतिशत प्रतिवर्गमीटर होगी।

(ग) एकल आवासीय भूखण्डों में अनुमन्य समय सीमा समाप्त हो जाने पर भी कोई समयविस्तारण शुल्क देय नहीं होगा।

(घ) किसी भी व्यावसायिक-फैसिलिटी/गुप हाउसिंग/संस्थागत (शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक) भूखण्ड के आवंटि/हस्तान्तरी को उपरोक्तानुसार समयविस्तारण अधिकार रूप में स्वयंमेव प्राप्त नहीं होगा तथा सभी प्रकरणों में आवंटि द्वारा अनुमन्य उपयोग की दिशा में की गयी प्रगति के दृष्टिगत गुण-दोष के आधार पर समयविस्तारित किये जाने का निर्णय सक्षम अधिकारी द्वारा लिया जाएगा।

3. औद्योगिक भूखण्डों के हस्तान्तरण की नीति में संशोधन

ऐसे औद्योगिक भूखण्ड जिनके आवंटन से 5 वर्ष की अवधि व्यतीत नहीं हुई है तथा प्रश्नगत भूखण्ड निगम के आपरेटिंग मैनुअल (औद्योगिक क्षेत्र) वर्ष-2011 चैप्टर -6 के प्रस्तर 6.01 में दी गयी परिभाषा के अनुसार "रिक्त भूखण्ड" की श्रेणी में आता है, के हस्तान्तरण हेतु आवेदन पत्र स्वीकार करने की अन्तिम तिथि दिनांक 31.3.2019 होगी तथा ऐसे भूखण्डों का हस्तान्तरण वर्तमान प्रचलित प्रीमियम दर के 15 प्रतिशत प्रतिवर्गमीटर की दर पर देय हस्तान्तरण लेवी सहित अनुमन्य होगा। ऐसे सभी प्रकरणों पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय प्रबन्ध निदेशक द्वारा लिया जाएगा।

हस्तान्तरण की वर्तमान नीति के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।


(राजेश कुमार सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या 2013-46/एसआईडीसी-आईए- पालिसी वाल्यूम-17

दि 13-12-18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०,
2. प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, मुख्यालय, कानपुर।
3. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, (औ० क्षे० अनुभाग), उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, मुख्यालय, कानपुर।
4. गार्ड फाईल



(राजेश कुमार सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

17.12.18